



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र/NUCLEAR FUEL COMPLEX
स्थापना / Establishment
(आईएसओ, 9001, 14001 और 45001 संगठन
An ISO 9001, 14001 & 45001 Organization)



दूरभाष/Phone: 040 - 2718 4205
फैक्स/Fax : 040-2712 1271
ई-मेल/E-mail : apoest1@nfc.gov.in



ईसीआईएल/ECIL POST
हैदराबाद/HYDERABAD-500062
तेलंगाना राज्य/ TELANGANA STATE
भारत/INDIA

पेंशन अदालत PENSION ADALAT 2023

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के ध्यानार्थ
For the attention of Nuclear Fuel Complex Pensioners/Family Pensioners Under CCS (Pension)
Rules, 2021

दिनांक 17.05.2023 (बुधवार) को प्रातः 1030 बजे एनएफसी के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों की शिकायतों पर विचार करने और उनका निवारण करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "पेंशन अदालत-2023" का आयोजन किया जाएगा। पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति, दिनांक 17.05.2023 को प्रातः 1030 बजे नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के सारथी भवन के भू-तल स्थित डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सम्मेलन कक्ष में भाग ले सकते हैं। अदालत में पेंशन संबंधी लाभ से संबंधित शिकायतों पर विचार किया जाएगा। पहले से निपटाई गई/जवाब दी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं शिकायतों को लिया जाएगा जो मौजूदा पेंशन नीति/दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं।

A "PENSION ADALAT-2023" is scheduled to be held at 1030 Hrs on 17.05.2023 (Wednesday) through Video Conference to consider and redress grievances of NFC Pensioners/Family Pensioners. Those who are desirous to attend the Pension Adalat personally, they may attend at Dr. A P J Abdul Kalam Conference Hall, Ground Floor, Sarathi Building, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad at 1030 Hrs on 17.05.2023. Grievances pertaining to pensionary benefits would be considered in the Adalat. Grievances already settled / replied will not be considered. Only those grievances will be taken up which fall within the extant Pension policy/guidelines.

एनएफसी के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अपनी शिकायतें, यदि कोई हों तो, निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक अधिकारी-III (स्थापना एवं पेंशन), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को ई-मेल ao-estt@nfc.gov.in पर अथवा उपरोक्त पता एक लिफाफे में जिस पर "एनएफसी पेंशन अदालत-2023" लिखा हो, डाक द्वारा भेज सकते हैं। दिनांक 15.05.2023 तक एनएफसी में प्राप्त शिकायतों पर विचार किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने का प्रारूप, वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रक्रिया और अन्य जानकारी हमारी वेबसाइट www.nfc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

NFC Pensioners/Family Pensioners may send their grievances, if any, in the prescribed format to Administrative Officer-III (E&P), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad on e-mail at ao-estt@nfc.gov.in or by post at the above address in an envelope superscribed "NFC PENSION ADALAT-2023". Grievances received in NFC by 15.05.2023 shall be considered. The format for filing grievances, video conference procedure and other information may be downloaded from our website www.nfc.gov.in.


प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer-III
नाईस पेंशन आदालत NFC Pension Adalat